भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी. रोड, तिरुवनन्तपुरम-695 001.

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, THIRUVANANTHAPURAM-695 001.

P19/II/DRSSA-137/UP/ 2018-19 15/11/2018

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Implementation of decision of State Government with regard to the recommendations of Pay Commission, Uttar Pradesh (2016) -Revision of Pension/Family Pension of Pre-2016 pensioners/ family pensioners of Uttar Pradesh State -reg.

Ref: 1.SSA No. Pen.Misc/RTI-65/1609, dated :27/09/2018 of the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh.
2.Lr. No.23/2017/GI-3-329/X-2017/308/2016 dated: 18/07/2017 from the Secretary, Government of Uttar Pradesh

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh which encloses a letter from Government of Uttar Pradesh regarding implementation of decision of State Government with regard to the recommendations of Pay Committee, Uttar Pradesh (2016)-Revision of Pension/Family Pension of pre-2016 pensioners/family pensioners. The same is being placed in the official website of the office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link ***"Treasury endorsement of orders for other state pensioners"*** . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

15/11/18
Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone: 0471-2776100 फैक्स / Fax: 0471-2330242 ई-मेल/ E-mail : agaekerala@cag.gov.in
Website : http://www.agker.cag.gov.in

P19

Pr/ Lit/DR 3581/137
18/10/18

270386
11/10/18

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद

Phone: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

पत्रांक:- पेंशन [illegible] /RTI-65/ 1609

दिनांक:- 27-9-2018

सेवा में,

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

Kerela,

Thiruvanthapuram. 695039

विषय:- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संसोधन ।

शासनादेश:- संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18-07-2017

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक पति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें ।

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2017

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनॉक 01-01-2016 से संशोधित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

2- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन विषयक 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत केन्द्र सरकार के संकल्प संख्या-38/37/2016-P&PW(A), दिनॉक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प के संबंध में संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2016- P&PW(A), दिनॉक 12 मई, 2017 निर्गत किया गया है।

3- केन्द्र सरकार के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया गया था, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनॉक 01-01-2016 को

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के पूर्व कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 04-08-2016 की व्यवस्थानुसार, दिनाँक 01-01-2016 के पहले की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनाँक 12-05-2017 के कार्यालय-ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनाँक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनाँक 01-01-2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी।

4- उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि केन्द्र सरकार के संकल्प दिनाँक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प पर केन्द्र सरकार का निर्णय आने पर, राज्य सरकार द्वारा तद्नुसार आदेश निर्गत किये जाएं।

5- अतः केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन हेतु व्यवस्था कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी रीति के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन के साथ-साथ आगे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार भी पेंशन का संशोधन किया जायेगा और दोनों रीतियों से पेंशन संशोधन किये जाने पर दिनाँक 01-01-2016 से, संबंधित पेंशनर को पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक हो।

7- इस व्यवस्था के अन्तर्गत, दिनाँक 01-01-2016 के पहले सेवानिवृत्त/मृत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब-जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब-तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार, दिनाँक 01-01-2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनाँक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन से अधिक होती है तो वह राशि उसे दिनाँक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी अन्यथा शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथावत् प्राप्त होती रहेगी।

8- ऐसे मामले जिनमें बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उनमें बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा तथा जिस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो उस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

9- ऐसे पेंशनर्स जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों में स्थायी संविलियन के उपरान्त राजकीय सेवा के लिए पृथक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सरकारी सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में स्थायी रूप से संविलियन की शर्तों में राज्य सरकार के नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो, उन मामलों में पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10- चूँकि समेकित पेंशन की धनराशि में राशिकृत पेंशन का अंश सम्मिलित होता है, अतः उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन में से राशिकृत पेंशन की धनराशि घटाते हुए मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

11- इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनाँक 01-01-2016 के पूर्व की अवधि के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनाँक 01-01-2016 से एरियर का भुगतान, शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा। माह जनवरी, 2017 से देय अवशेष का

--4--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

भुगतान भी शासनादेश दिनाँक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा तथा माह जुलाई, 2017 से संशोधित पेंशन का भुगतान माह अगस्त, 2017 से देय होगा।

12- प्रकल्पित आधार पर भिन्न-भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुए पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) निर्गत किये जाने हेतु वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश प्रेषित किये जायेंगे। नया भुगतानादेश उसी पी0पी0ओ0 संख्या पर निर्गत किया जायेगा जिस पी0पी0ओ0 संख्या द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन मूल रूप से स्वीकृत की गयी है।

13- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/ संविधिक संस्थानओं/परिषदीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

14- इन आदेशों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधन की प्रक्रिया को इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका में दिये गये उदाहरणों से समझाया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-23/2017/सा-3-329(1)/दस-2017/308/16 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

--5--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉं तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उदाहरण

संलग्नक

कृपया शासनादेश का प्रस्तर-5 देखें

क्रमांक	विवरण	प्रथम उदाहरण	द्वितीय उदाहरण	तृतीय उदाहरण	चतुर्थ उदाहरण
1-	सेवानिवृत्ति की तिथि	31-12-1984	31-01-1989	30-06-1999	31-05-2015
2-	सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान अथवा पे बैण्ड) (एवं ग्रेड पे) या दिनॉक 01-01-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनॉक 01-01-1986 को प्रकल्पित वेतनमान	975-1660 (चतुर्थ वेतन आयोग)	3000-4500 (चतुर्थ वेतन आयोग)	4000-6000 (पंचम वेतन आयोग)	67000-79000 (छठवॉ वेतन आयोग)
3-	सेवानिवृत्ति के समय वेतन या दिनांक 01-01-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनांक 01-01-1986 का प्रकल्पित वेतन	1210	4000	4800	79000
4-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनॉक 01-01-2016 को पेंशन	4191	12600	5424	39500
5-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनॉक 01-01-2016 को पारिवारिक पेंशन	3500	7560	3500	23700
6-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनॉक 01-01-2016 को बढी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन (जहॉ लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	39500
7-	अपुनरीक्षित पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन	10771	32382	13940	101515

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8-	अपुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन	9000	19430	9000	606909
9-	अपुनरीक्षित बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर अपुनरीक्षित दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	101515
10-	दिनॉक 01-01-1996 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	3710 (3200-4900)	11300 (10000-15200)	लागू नहीं	लागू नहीं
11-	दिनॉक 01-01-2006 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	8910 पे बैण्ड-1 ग्रेड पे 2000	27620 पे बैण्ड-3 ग्रेड पे 6600	11330 पे बैण्ड-1 ग्रेड पे 2400	लागू नहीं
12-	दिनॉक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	23100 (लेवल-3)	71800 (लेवल-11)	29600 (लेवल-4)	205100 (लेवल-15)
13-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनॉक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन	11550	35900	14800	102550
14-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनॉक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन	9000	21540	9000	61530
15-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनॉक 01-01-2016 से बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550
16-	अनुमन्य पुनरीक्षित पेंशन (क्रमांक-7 एवं क्रमांक-13 में से जो अधिक हो)	11550	35900	14800	102550

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17-	अनुमन्य पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन (क्रमांक-8 एवं क्रमांक-14 में से जो अधिक हो)	9000	21540	9000	61530
18-	अनुमन्य बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन (क्रमांक-9 एवं क्रमांक-15 में से जो अधिक हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II
20 SAROJINI NAIDU MARG, U. P., ALLAHABAD
Phone : Off. 2622625-26 Fax : 0532-2624402

Letter No. Pen. Misc/RTI-65/1609

Dated 27.09.2018

To

O/o the Accountant General (A&E)
Kerala, Thiruvananthapuram – 695 039

Sub :- Implementation of the decision of State Government with regard to the recommendations of Pay Committee, Uttar Pradesh (2016) – Revision of pension of pre-2016 pensioners/ family pensioners etc.

Government Order : No. 23/2017/Gl-3-329/X-2017/308/2016 dated 18.07.2017

Sir,

Copy of the above mentioned order issued by Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3 is being sent enclosed herewith.

Hence, you are requested that the above orders may be circulated to all Treasury Officers/ Pension Payment Officers under your jurisdiction and they may be directed to take action as per rules and a copy may please be forwarded to this office also.

Encl. : as above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/Pension Misc.

No. 23/2017/Gl-3-329/X-2017/308/2016

From

Ajay Agrawal
Secretary
Government of Uttar Pradesh

To

1. **All Additional Chief Secretary/Prl Secretary/Secretary, Government of Uttar Pradesh**
2. **All Heads of the Departments/Heads of Main Offices, Uttar Pradesh**

Finance (General) Section-3 **Lucknow : Dated 18th July, 2017**

Sub :- Implementation of the decision of State Government with regard to the recommendations of Pay Committee, Uttar Pradesh (2016) – Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc.

Sir,

Government Order No. 39/2016/Gl-3-923/X-2016/308/2016 dated 23rd December, 2016 regarding revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners of State Government w.e.f. 01.01.2016 has been issued.

2. Office Memorandum No. 38/37/2016-P&PW(A), dated 12th May, 2017 has been issued by the Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension in continuation of the recommendations of the Committee constituted for giving recommendations regarding the first option mentioned in Central Government Resolution No. 38/37/2016-P&PW(A), dated 04.08.2016 issued in continuation of the recommendations of 7th Central Pay Commission regarding the revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners.

3. In the above Office Memorandum of the Central Government, it is provided that the pay scale in which last pay had been drawn at the time of retirement, by pre-2016 retired personnel shall be revised notionally in accordance with the recommendations of the Pay Commissions following the date of retirement and as such pension/family pension shall be fixed on the basis of notional pay fixed as on 01.01.2016. The revised pension/family pension on multiplying pre-01.01.2016 pension/family pension with 2.57 as per the provision of previous OM dated 04.08.2016 of the Central Government and the pension/family pension fixed on the basis of pay revised notionally as on 01.01.2016 as per the provision given in OM dated 12.05.2017, whichever is more, shall be permissible as revised pension/family pension as on 01.01.2016.

4. Recommendation has been given by the Uttar Pradesh Pay Committee, 2016, that when the decision of the Central Government on the first option mentioned in Central Government Resolution dated 04.08.2016 comes out, orders may be issued accordingly by the State Government.

5. Hence, it is has been decided by the State Government to make provision for revision of pension of pre-2016 pensioners of the Government as per the provisions made in above mentioned OM dated 12th May, 2017 of the Central Government.

6. In this regard, I am directed to state that revision of pension of pre-2016 pensioners will be done as per the method given in GO dated 23rd December, 2016 along with revision of pension as per the procedure given further also and on revising pension through both methods, the amount of pension, whichever is more, shall be permissible to the concerned pensioner w.e.f. 01.01.2016.

7. Under this provision, notional revision of last pay drawn in the pay scale held by pre-01.01.2016 retired/deceased Uttar Pradesh Government Servant shall be done notionally whenever revision of pay scales is done by the State Government as per the recommendations of Central Pay Commission following the date of death/retirement of that employee. As such, fixation of pension/family pension on the basis of notional pay fixed as on 01.01.2016 shall be done in accordance with relevant rules. If the amount of pension/family pension fixed as such is more than the pension/family pension revised w.e.f. 01.01.2016 as per the provision given in Department of Finance, GO No.39/2016/Gl-3-923/X-2016/308/2016 dated 23rd December, 2016, that amount will be permissible to him as revised pension/family pension w.e.f. 01.01.2016 or the revised pension/family pension as per the provision of GO dated 23rd December, 2016 shall be duly received.

8. In those cases where payment of family pension is being made at increased rates, revision of family pension at increased rate shall also be made as per the above mentioned procedure and the revision of family pension at ordinary rate shall be done from the date from which family pension at ordinary rate is permissible, as per the above procedure.

9. Revision of pension sanctioned for Government service, of those pensioners who are receiving pension separately for Government service after permanent absorption in Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies, shall be done as per the above procedure. In those cases where family pension under the rules of State Government is permissible in the conditions of permanent absorption in Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies, revision of family pension in such cases also shall be done as per the above procedure.

10. The part of commuted pension is included in the amount of consolidated pension and hence the payment of monthly pension shall be made by reducing the amount of commuted pension from the pension fixed as cited above.

11. No arrear shall be payable for the period prior to 01.01.2016 consequent to revision of pension/family pension by notional fixation of pay as per the provision given in this Government Order. On revision of pension/family pension under these orders, payment of arrear w.e.f. 01.01.2016 shall be made as per para-10 of Government Order dated 23rd December, 2016. Payment of arrear from the month of January, 2017 shall also be made as per para-10 of Government Order dated 23rd December, 2016 and payment of revised pension from the month of July, 2017 shall be payable from the month of August, 2017.

12. Fixation of pay in different pay scales on notional basis shall be done by the concerned Head of Office/Head of the Department and the orders regarding pay fixation shall be sent to the Pension Sanctioning Officer for issuing revised Pension Payment Order. New Payment Order will be issued on the same PPO No. through which pension/family pension has been sanctioned originally.

13. These orders shall not be applicable on the retired Judges of Honourable High Court/ pensioners of Statutory Institutions/Council Schools/Aided Educational Institutions/Autonomous Institutions. In respect of the pensioners of these Institutions, separate orders will be issued by the concerned Administrative Department.

14. The procedure for revision of pension/family pension under these orders has been illustrated through the examples given in the table enclosed with this Government Order.

Kindly ensure action as mentioned above.

Yours faithfully,
Ajay Agrawal
Secretary

No.23/2017/Gl-3-329(1)/X-2017/308/16 Even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Accountant General, (A & E) I/II, Uttar Pradesh, Allahabad
2. Principal Secretary, Honourable Governor, Uttar Pradesh
3. Principal Secretary, Legislative Assembly/Legislative Council, Uttar Pradesh
4. Registrar General, Honourable High Court, Allahabad
5. Director of Pension, Pension Directorate, 8th Floor, Indira Bhawan, Uttar Pradesh, Lucknow
6. Director of Treasuies, Jawahar Bhawan, Uttar Pradesh, Lucknow
7. Director, Financial Management Training & Research Institute, Indira Nagar, Lucknow
8. Director, Information & Public Relations Directorate, Uttar Pradesh, Lucknow
9. All Additional/Joint Director, Treasuries & Pension, Uttar Pradesh
10. All Chief/Sr Treasury Officer, Uttar Pradesh
11. All Sections of Uttar Pradesh Secretariat

By orders,
Neel Ratan Kumar
Special Secretary

ANNEXURE

ILLUSTRATION

Please see Para-5 of the Government Order

Sl No.	Description	Example I	Example II	Example III	Example IV
1.	Date of retirement	31.12.1984	31.01.1989	30.06.1999	31.05.2015
2.	Pay scale or Pay Band + Grade Pay at the time of retirement OR Notional pay scale as on 01.01.1986 of pre-01.01.1986 retired personnel	975-1660 (Fourth Pay Commission)	3000-4500 (Fourth Pay Commission)	4000-6000 (Fifth Pay Commission)	67000-79000 (Sixth Pay Commission)
3.	Pay at the time of retirement OR Notional pay as on 01.01.1986 of pre-01.01.1986 retired personnel	1210	4000	4800	79000
4.	Pension as on 01.01.2016 prior to revision	4191	12600	5424	39500
5.	Family pension as on 01.01.2016 prior to revision	3500	7560	3500	23700
6.	Family pension at increased rates as on 01.01.2016 prior to revision (wherever applicable)	N.A.	N.A.	N.A.	39500
7.	Revised pension obtained on multiplying 2.57 with unrevised pension	10771	32382	13940	101515

8.	Revised family pension obtained on multiplying 2.57 with unrevised family pension	9000	19430	9000	606909
9.	Family pension at unrevised rate on multiplying 2.57 with family pension at increased unrevised rate	N.A.	N.A.	N.A.	101515
10.	Pay fixed notionally as on 01.01.1996	……… (3200-4900)	11300 (10000-15200)	N.A.	N.A.
11.	Pay fixed notionally as on 01.01.2006	8910 PB-1 GP 2000	27620 PB-3 GP 6600	11300 PB-1 GP 2400	N.A.
12.	Pay fixed notionally as on 01.01.2016	23100 (Level-3)	71800 (Level-11)	29600 (Level-4)	205100 (Level-15)
13.	Revised pension w.e.f. 01.01.2016 as per first option	11550	35900	14800	102550
14.	Revised pension w.e.f. 01.01.2016 as per first option	9000	21540	9000	61530
15.	Family pension at increased rate w.e.f. 01.01.2016 as per first option	N.A.	N.A.	N.A.	102550
16.	Revised pension permissible (Sl No.7 & Sl No.13, whichever is more)	11550	35900	14800	102550
17.	Revised family pension permissible (Sl No.8 & Sl No.14, whichever is more)	9000	21540	9000	61530
18.	Revised family pension permissible at increased rate (Sl No.9 & Sl No.15, whichever is more)	N.A.	N.A.	N.A.	102550